



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक.एफ 20 (101/) आयो/ आकाशि/2023-24/ 766

दिनांक 06.06.2023

समस्त प्राचार्य/नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय (सहशिक्षा/कन्या/विधि/कृषि)
राजस्थान।

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23, 2023-24 में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालय के सम्बद्धता शुल्क राशि जमा करवाने बाबत

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23, 2023-24 में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यनिधि मद के अन्तर्गत योजनाओं के तहत बजट मद 2202-03-103-02-00-57 विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (सम्बद्धता शुल्क) मद में राशि रु 465.00 लाख, बजट मद 2202-03-103-03-00-57 विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (सम्बद्धता शुल्क) में राशि रु 40.00 लाख एवं बजट मद 2202-03-789-01-00-57 विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (सम्बद्धता शुल्क) मद में राशि रु 40.00 लाख तथा बजट मद 2202-03-796-01-00-57 विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय (सम्बद्धता शुल्क) मद में राशि रु 20.00 लाख विभाग को स्वीकृत किये गये हैं।

संबंधित नोडल महाविद्यालयों/प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बजट मदों में उपलब्ध राशि से नवीन राजकीय महाविद्यालयों का सम्बद्धता शुल्क जमा करवा कर इसकी प्रति आयुक्तालय को अविलम्ब ई मेल आई डी Jdplan.cce@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें इसके साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं का भी पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

- 1 वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में नवीन राजकीय महाविद्यालयों का सम्बद्धता शुल्क आपने छात्र निधि मद /महाविद्यालय विकास समिति या अन्य मदों से किया है तो उक्त स्वीकृत राशि से उसका पुर्नभरण किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2 जिन नवीन महाविद्यालयों के पास आहरण एवं वितरण अधिकार स्वयं के पास उपलब्ध है तो स्वयं अपने स्तर पर सम्बद्धता शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(गोपाल राम बिरड़ा)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Website Incharge, pls. upload on website.

Py
7/6/23

Signature valid

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2023.06.06 16:00:31 IST
Reason: Approved

